

प्रान्तिक भवन / 2018/0/669

व्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल न्यायिक सर्किट कोर्ट

रीवा संभाग रीवा म0प्र0



X10

मथुरा यादव पिता श्री भगवतदीन यादव आयु 70 वर्ष निवासी ग्राम
मझगांव तहसील मझगांव जिला सतना म0प्र0.....निगराकार
बनाम

मो0उमर खांन तनय स्व0फकीर मोहम्मद आयु 48 वर्ष निवासी ग्राम
मझगांव तहसील मझगांव जिला सतना.....गैरनिगराकार

अधिकारी रामानन्द 12.3.19
मिमांडारा जे.ए। 12/99-2000 मे पारित
करार अधिकारी को
राजस्व मण्डल म0प्र0 गैरनिगराकार
सीमांकन पुस्तिकरण आदेश दिनांक 10/07/2000
निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

मान्यवर,

निगराकार निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनायी है:-

प्रकरण के तथ्य

1- यह कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा परेबा तहसील
मझगांव जिला सतना की आराजी नं0-28/2ख/3/क रकवा 0.437हे0
का निगराकार भूमि स्वामी है उक्त आराजी पर निगराकार काबिज
होकर खेती,कास्तकारी करता है गैरनिगराकार के द्वारा व्यायालय
तहसीलदार तहसील मझगांव के समक्ष आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 250
म0प्र0भू0रा0सं0 के तहत् मौजा परेबा तहसील मझगांव जिला सतना
स्थित आराजी नं0-28/2ब/1/1/2/1 रकवा 1.00ए0 का गैरनिगराकार
भूमि स्वामी है तथा आराजी नं- 28/2ब/1/1/2/2 रकवा 0.50ए0
की गैरनिगराकार की पत्ती श्रीमती नजमा भूमि स्वामी है। आराजी
नं0-28/2ब/1/1/2/1 रकवा 1.00ए0 का सीमांकन जरिये
प्र0क0-139312/99-2000 विर्णय दिनांक 10/07/2000 को
किये जाने पर 0.04ए0 पर एवं आराजी नं- 28/2ब/1/1/2/2 रकवा
0.50ए0 का सीमांकन जरिये रा0प्र0क0-1403-12/99-2000
पारित आदेश दिनांक 10/07/2000 से किये जाने पर जुज रकवा

(नं-303)
मधुरा ---2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक II / निगो / भू—रा० / 2018 / 1669

जिला—सतना

मथुरा यादव / मो० उमर खॉ

(1)

(2)

18-12-18

1. आवेदक की ओर से श्री रामानन्द मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ना० तहसीलदार, तहसील मझगवां जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 139 / ए—१२ / १९९९—२००० में पारित आदेश दिनांक 10.07.2000 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 20.02.19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।

सदस्य